हिमाचल अभी अभी

साप्ताहिक

नई सोच नई खोज

/himachal.abhiabhi @himachal_abhi

प्रेरक : स्व. पंडित बालकृष्ण शर्मा

RNI No. HPHIN/2015/68432 वर्ष 12 अंक 23 कांगड़ा। शनिवार, 08 अगस्त-14 अगस्त, 2026 www.himachalabhiabhi.com तदनुसार 24 श्रावण, विक्रमी संवत् 2083 कुल पृष्ठ 4 मूल्य ₹5 | Postal Regn.No. DGPUR/26/24-26

'बिकाऊ राजनीति करने वालों को सरकार या सीएम के काम का आकलन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं'

- बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर बरसे डॉ. राजेश शर्मा
- जांच का सामना करें, सोशल मीडिया पर बयानबाजी ना करें
- 2017 में बीजेपी की शिकायत पर ही शुरू हुई थी जांच
- सीएम सुक्खू पर हमला प्रदेश की मर्यादा पर है प्रहार
- स्मार्ट सिटी, ट्यूलिप गार्डन-डस्टबिन के फंड का दें हिसाब
- जांच अधिकारियों को ना डराएं, बीजेपी नेतृत्व दे नसीहत

■ मनोज ठाकुर/धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने धर्मशाला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर जोरदार हमला बोला। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर कोई नई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में स्वयं बीजेपी द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से हुई थी। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान इस शिकायत की शुरुआती जांच हुई थी और अब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। कानून सभी के लिए समान है। यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जांच चल रही है, तो उसे सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय जांच एजेंसियों के समक्ष अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। जांच में पूरा सहयोग करना हर जनप्रतिनिधि की संवैधानिक जिम्मेदारी है। डॉ. राजेश आज धर्मशाला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि बिकाऊ राजनीति करने वाले नेताओं को सरकार या सीएम के काम का आकलन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीएम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के मुखिया का पद है। वे प्रदेश की जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुधीर शर्मा स्कूल-कॉलेज की बचकानी मानसिकता छोड़कर जनप्रतिनिधि का धर्म निभाएं। यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो आगामी विधानसभा सत्र में नियम अनुसार प्रश्न उठाएं। डेढ़ साल पहले सरकार गिराने की कोशिश की गई, जिसके बाद हुए उपचुनावों में जनता ने अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है।

धर्मशाला के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए डॉ. राजेश शर्मा ने मांग की कि सुधीर शर्मा सबसे पहले धर्मशाला की जनता को सार्वजनिक धन का हिसाब दें। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आए करोड़ों रुपये के बजट की वर्तमान स्थिति क्या है। भूमिगत कूड़ेदानों और ट्यूलिप गार्डन के नाम पर जारी किए गए सरकारी फंड का उपयोग कहां किया गया। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कार्रवाई के डर और पैसों के लालच में जो नेता बीजेपी में गए हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से अपील की कि वे अपने नेताओं को कानून और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करने की सलाह दें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को डराया-धमकाया न जाए। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीएम पद पर छींटाकशी बंद की जाए। जनता सब देख रही है और विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी।

डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि सुधीर शर्मा के खिलाफ विजिलेंस ने धर्मशाला थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच में जुटाए गए दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर की गई है। इसमें सरकार या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोई लेना-देना नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो यह एफआईआर साल भर पहले ही दर्ज हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉ. राजेश ने कहा कि शिकायतकर्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रह्म दास भाटिया की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार सुधीर शर्मा पर पहली अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2023 के बीच यानी 10 वर्षों की अवधि के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के गंभीर आरोप हैं। जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बने अभी साढ़े तीन साल हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि विजिलेंस सुधीर शर्मा के खिलाफ पहले से ही साक्ष्य जुटा रही थी, अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये उन्हीं जांच पर आधारित साक्ष्यों के आधार पर हुई है।

YouTube देखें वीडियो